4193

फैक्स /ईमेल द्वारा /मा0 उच्च न्यायालय प्रकरण/शीर्ष प्राथमिकता

# उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

पत्र संख्याःपॉच–1090(255)2014 दिनांक :फरवरी 21, 2015

सेवा में

1–समस्त पुलिस महानिरीक्षक जोन्स, उत्तर प्रदेश।
2–समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
3–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश।
4–समस्त पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश।

विषयः– **मुख्य आरक्षी के पद प्रोन्नत प्राप्त कर्मियो को हेड कान्सटेबिल (प्रोन्नत वेतनमान) का पदनाम दिये जाने तथा एएसआई की वर्दी धारित करने के सम्बन्ध में ।**

कृपया उपयुर्क्त विषयक शासनादेश संख्याः7760/6–1–97–27/97 दिनांक 15.09.1997 तथा पूर्व निर्गत परिपत्र संख्याः डीजी–चार–103(8)94 दिनांक 18.9.1997 एंव छठे वेतन आयोग की संस्तुतियो के आलोक में शासनादेश में निहित व्यवस्था को कियान्यवित करने हेतु निर्गत परिपत्र संख्याःडीजी–चार–103(8)94 दिनांक 26.12.2012 का अवलोकन करें।

2. वर्तमान में कतिपय जनपदो/इकाईयो द्वारा फरवरी 2014 में आरक्षी से मुख्य आरक्षी के पद पर वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति पाये व आरक्षी के पद पर ही ग्रेड वेतन रूपया 4200/– प्राप्त कर रहे कर्मियो के ऊपर शासनादेश संख्याः7760/6–1–97–27/97, दिनांक 15.09.1997 में निहित व्यवस्था बनाये रखने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करने की अपेक्षा की गयी है।

3. उपरोक्त के अतिरिक्त इस आशय की अनेक रिट याचिकाये मा0 उच्च न्यायालय में योजित करके शासकीय अधिसूचना, दिनांक 15.09.1997 एंव परिपत्र संख्याः डीजी–चार–103(8)94 दिनाकिंत 18.9.1997 में निहित व्यवस्था को कियान्वित करते हुये एएसआई की वर्दी धारित करने एंव एएसआई के पद पर पदोन्नत किये जाने के अनुतोष की याचना की गयी है। ऐसी रिट याचिकाओ में से कतिपय याचिकाओ में मा0 न्यायालय द्वारा विपक्षीगण की ओर प्रतिशपथ–पत्र दाखिल करने के निर्देश दिये गये है तथा कतिपय याचिकाओ को अन्तिम रूप से निस्तारित करते हुये याचीगण के प्रत्यावेदन को निस्तारित करने के निर्देश भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये है।

4. इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासकीय अधिसूचना संख्याः7760/6–पु–1–97–27/97 दिनांक 15.09.1997 द्वारा यह प्रावधानित किया गया है कि ऐसे मुख्य आरक्षियों को जो समय समय पर यथा संशोधित वेतनमान 1640–60–द0रो0–2900 रूपया ( तत्समय **चतुर्थ** वेतन आयोग के अनुसार उप निरीक्षक का वेतनमान ) में हों, को ऐसे अधिकारी के रूप में विहित किया गया है, जिसे थाने का भार साधक अधिकारी, कुछ सीमित मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों का अन्वेषण करने और यदि आवश्यक हो तो अपराधी का पता चलाने और उसकी गिरफ्तारी के उपाय करने के लिये तैनात कर सकता है।

5. यहां यह उल्लेखनीय है कि तत्समय **चतुर्थ** वेतन आयोग में ऐसे मुख्य आरक्षियों, जो मुख्य आरक्षी के पद पर निरन्तर 14 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर लेते थे उनको तत्समय के उप निरीक्षक के प्रथम प्रोन्नति वेतनमान रूपया 1640–60–द0रो0–2900 का लाभ दिया जाता था। इससे स्पष्ट है कि शासनादेश की मंशा ऐसे मुख्य आरक्षियों को सीमित मामलों में अन्वेषण तथा गिरफ्तारी करने के लिये अधिकृत करने का था, जो मुख्य आरक्षी के रूप में 14 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों। ऐसे मुख्य आरक्षियों के मुख्य आरक्षी पद पर लम्बे अनुभव तथा प्रोन्नति के सुलभ अवसर न होने के दृष्टिगत इस मुख्यालय के परिपत्र संख्याःडीजी–चार–103(8)–94, दिनांक 18.09.1997 द्वारा उक्त परिधि में आने वाले मुख्य आरक्षियों को मुख्य आरक्षी (प्रोन्नति वेतनमान) का पद नाम, सहायक उप निरीक्षकों के लिए निर्धारित एक सितारा एवं कन्धे पर फ्लैप पर आधा लाल एवं आधा गहरे नीले रंग का रिबन धारण करने हेतु अधिकृत किया गया था।

6. छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर ए0सी0पी0 की व्यवस्था लागू होने के उपरान्त इस मुख्यालय के अ0शा0 पत्र संख्याःडीजी–चार–103(8)–94, दिनांक 26.12.2012 द्वारा ऐसे मुख्य आरक्षियों को, जो द्वितीय ए0सी0पी0 के रूप में उप निरीक्षक का ग्रेड वेतन 4200/– प्राप्त कर रहे हों, उन पर उपरोक्त शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में इस मुख्यालय के परिपत्र दिनांक 18.09.1997 में निहित व्यवस्था यथावत् बनाये रखी गयी थी। उल्लेखनीय है कि छठे वेतन आयोग के उपरान्त द्वितीय ए0सी0पी0 का लाभ एक ही पद पर 16 वर्ष की सेवा के उपरान्त अनुमन्य होता है। अतः इस परिपत्र से भी स्पष्ट है कि उपरोक्त शासनादेश के अन्तर्गत ऐसे मुख्य आरक्षियों को सीमित मामलों में अन्वेषण तथा गिरफ्तारी करने के लिये अधिकृत करने का था जो मुख्य आरक्षी

24/2

के रूप में 16 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों। उक्त शासकीय अधिसूचना में जो वेतनमान 1640–2900 दिया गया था, वह वेतनमान छठवें वेतन आयोग में वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 तथा ग्रेड पे रूपया 4200/– का है।

7. **उपरोक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि ऐसे मुख्य आरक्षियों, जो मुख्य आरक्षी के पद पर निरन्तर 14 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त तत्समय चतुर्थ वेतन आयोग में प्रावधानित उप निरीक्षक के प्रथम प्रोन्नति वेतनमान रूपया 1640–60–द0रो0–2900 का लाभ प्राप्त कर रहे थे, उन्हें इस पद पर कार्य का लम्बे समय का अनुभव तथा प्रोन्नति के अवसर सुलभ न होने के दृष्टिगत शासकीय अधिसूचना दिनांक 15.09.1997 द्वारा न्यूनतम व सीमित कार्य को सम्पादित कराये जाने हेतु प्राधिकृत किया गया था।** उक्त शासकीय अधिसूचना में जो वेतनमान 1640–2900 दिया गया था, वह वेतनमान छठवें वेतन आयोग में वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 तथा ग्रेड पे रूपया 4200/– का है।

8. उत्तर प्रदेश आरक्षी एंव मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली–2008 के नियम–20 के अनुसार मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति पाये कर्मी दो वर्ष की अवधि के लिये परीवीक्षा काल पर रखे जायेगे, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित कारणों से अधिकतम 2 वर्ष की सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान, नियुक्ति प्राधिकारी के संतोषानुसार पर्याप्त सुधार नहीं किया गया है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

9. **उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्राख्यापित नियमावली के अर्न्तगत पदोन्नत प्राप्त कर्मी से उसके पदजनित कार्य (याचीगण से मुख्य आरक्षी पद का कार्य) का ही निस्तारण कराते हुये परिवीक्षा काल मे उसके कार्य का मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित है। जबकि शासकीय अधिसूचना, दिनांक 15.09.1997 में निहित व्यवस्था के अनुरूप मुख्य आरक्षी से उपनिरीक्षक पद के न्यूनतम व सीमित कार्य को सम्पादित कराये जाने की व्यवस्था है।**

10. पूर्व में पुलिस रेगुलेशन के 454 प्रान्तीय योग्यता परीक्षा के अर्न्तगत तथा 455 के अर्न्तगत विद्यमान रिक्ति के 20 प्रतिशत पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र द्वारा आरक्षी से मुख्य आरक्षी के पद पर प्रोन्नति प्रदान किया जाता था, कालान्तर में शासनादेश संख्याः1605/6–पु–10–95–1200(55)/76, दिनांक 31.05.1995 के अर्न्तगत विभाग में उपलब्ध कुल रिक्तियों के 50 प्रतिशत पर विभाग में कार्यरत आरक्षियों को वरिष्ठता के आधार पर तथा 50 प्रतिशत पद पर पूर्ववत विभागीय प्रतियोगिता के आधार पर प्रोन्नति किये जाने की व्यवस्था प्रावधानित है।

11. **अतः पूर्व प्रकिया के अनुसार प्रोन्नत पाये बहुधा मुख्य आरक्षी ऐसे है, जो एसीपी की सुविधा के अर्न्तगत अभी उपनिरीक्षक के पद का ग्रेड वेतन रूपया 4200/–नही पाये है, परन्तु वह फरवरी 2014 में मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति पाये कर्मियों से वरिष्ठ है। ऐसे कर्मियो को वरिष्ठ होने के बावजूद रू0 4200/– ग्रेड वेतन न स्वीकृत होने के कारण शासकीय अधिसूचना, दिनांक 15.09.1997 में निहित व्यवस्था इनके ऊपर प्रभावी नहीं है।**

12. उत्तर प्रदेश आरक्षी एंव मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली–2008 के अनुरूप इस नियमावली के सेवा सदस्य मौलिक रूप से नियुक्त/प्रोन्नत प्राप्त कर्मियों को दो वर्ष की अवधि के लिये परीवीक्षाकाल में उसके कार्य का मूल्यांकन कर, कर्मी से उसके पदजनित कार्य का ही निस्तारण कराया जाना अपेक्षित है। <u>उक्त नियमावली में उ0प्र0 पुलिस कार्यकारी बल में ए.एस.आई. का न तो कोई पद स्वीकृत है और न ही मुख्य आरक्षी (प्रोन्नति वेतनमान) की कोई व्यवस्था प्रावधानित है</u>। शासकीय अधिसूचना, दिनांक 15.09.1997 में निहित व्यवस्था के अनुरूप मुख्य आरक्षी से उपनिरीक्षक पद के कार्य को सम्पादित कराया जाना अपेक्षित था, जो प्रख्यापित नियमावली 2008 के निहित प्रावधानों के अर्न्तगत प्रोन्नति प्राप्त कर्मियों को अनुमन्य नहीं है।

13. मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नत प्राप्त ऐसे मुख्य आरक्षी जो आरक्षी के रूप में उपनिरीक्षक के पद का ग्रेड वेतन रूपया 4200/– एसीपी के रूप में पूर्व से प्राप्त कर रहे थे, से परिवीक्षा काल पूर्ण होने से पूर्व उपनिरीक्षक के पद का कार्य नही कराया जा सकता है, तथा परिवीक्षाकाल पूर्ण होने के पश्चात् इनसे मुख्य आरक्षी प्रोन्नति वेतनमान का कार्य लिया जाना उचित नहीं है। मात्र वेतनमान के आधार पर मुख्य आरक्षी के पद पर 14 वर्ष के कार्य अनुभव को नंजर अंदाज करते हुए, यदि इन्हें शासकीय अधिसूचना दिनांक 15.09.1997 की प्रावधानित व्यवस्था का लाभ दिया जाता है, तो उक्त शासनादेश की मूलभावना के विपरीत होगा। क्योंकि इनके पास मुख्य आरक्षी के पद पर 14 वर्ष की सेवा का अनुभव नहीं है, और न ही इनके द्वारा 14 वर्ष की सेवा के उपरान्त उपनिरीक्षक के वेतनमान में उपनिरीक्षक का वेतन प्राप्त हुआ है। वर्ष 2014 के पूर्व से पदोन्नति प्राप्त ऐसे मुख्य आरक्षियो के उपलब्ध हैं, जिन्हें उपनिरीक्षक पद का ग्रेड वेतन

रूपया 4200/– अनुमन्य नहीं हुआ है। अतः इनसे पूर्व के मुख्य आरक्षी जो सेवा में वरिष्ठ है, किन्तु उपनिरीक्षक के पद का ग्रेड वेतन रूपया 4200/– नहीं पायें है, के उपलब्ध रहते इनकी वरिष्ठता को ओझल करने से नीतिगत जटिलता उत्पन्न होगी। यह भी उल्लेखनीय है कि कार्यकारी बल में एएसआई के पद स्वीकृत नही है। **अतः प्रख्यापित नियमावली 2008 के अर्न्तगत वर्तमान में आरक्षी से मुख्य आरक्षी के पद पर प्रोन्नति प्राप्त कर, परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने से पूर्व अथवा वर्तमान पद पर शासनादेश की मूलभावना के अनुरूप अपेक्षित 14 वर्ष की सेवा के पर्याप्त अनुभव के बिना शासकीय अधिसूचना दिनांक 15.09.1997 का लाभ दिया जाना, शासनादेश की मूलमंशा के अनुकूल नहीं है।**

14. अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार अपने स्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें एंव याचीगण द्वारा योजित रिट याचिका का प्रतिवाद करने एंव मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावेदन निस्तारित करने सम्बन्धी निर्देशो के पालन में तदनुसार अपने स्तर कार्यवाही कराने कष्ट करें ।

( ए0के0 जैन )
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश

---

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे कृपया मामले में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कृपा करें ।

1–अपर पुलिस महानिदेशक कार्मिक,उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
2–पुलिस महानिरीक्षक,स्थापना, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

संख्या तथा दिनांक वही।

प्रतिलिपि अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण मुख्यालय/सुरक्षा मुख्यालय/अभिसूचना मुख्यालय/अपराध अपराध अनुसंधानविभाग/ई0ओ0डब्लू मुख्यालय/भ्र0नि0सं0 मुख्यालय/रेलवेज/अभियोजन मुख्यालय/रूल्स एंव मैनुअल/मानवाधिकार/लोक शिकायत/यातायात/तकनीकी सेवाये मुख्यालय/विशेष जॉच, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने स्तर से अपने अधीनस्थ इकाईयो को कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित करने की कृपा करे ।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि **पुलिस महानिरीक्षक, गोरखपुर जोन गोरखपुर** को उनके अशा0 पत्र संख्याः जीजेड रिया–बस्ती–17–2014–एसी–3/22298 दिनांक 21.11.2014 के सदर्भ में याची मुख्य आरक्षी कृष्ण देव प्रसाद व 49 अन्य द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्याः53224/2014 मुख्य आरक्षी कृष्ण देव प्रसाद व 49 अन्य बनाम राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 14.11.2014 के अनुपालन में इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि कृपया मामले अपने स्तर से याची का प्रत्यावेदन निस्तारित कराने का कष्ट करें ।